न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/140/18	15–10–2019	31–12–2019

01. इन्दर पुत्र राम सिंह जाति माली निवासी सैदपुर बैरका तहसील तिजारा जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

01. तहसीलदार तिजारा जिला अलवर।

रेस्पौडेण्ट

अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार तिजारा जिला अलवर दिनांक 10.07.2017 बाबत इंतकाल संख्या 172 वाकै ग्राम सैदपुर तहसील तिजारा

उपस्थितः–

01. श्री दिनेश कुमार यादव —वकील अपीलान्ट

—:: निर्णय ::——

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार तिजारा के आदेश दिनांक 10–07–2017 जिसके द्वारा इंतकाल संख्या 172 वाके ग्राम सैदपुर तहसील तिजारा स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में अकित तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि विवादित इंतकाल संख्या 172 तहत अदालत द्वारा प्रकरण संख्या 5/16 रिमान्ड पत्रावली इंतकाल संख्या 172 विरासत ग्राम सैदपुर बैरका तहसील तिजारा में पारित निर्णय दिनांक 9.6.17 की पालना में स्वीकृत किया गया है। विवादित इंतकाल में वर्णित आराजी वाकै ग्राम सैदपुर बैरका को नियमानुसार अमरसिंह पुत्र कुन्दर 1/4 भाग, हेमसिंह पुत्र रामसिंह, इन्दर पुत्र रामसिंह, हनुमान उर्फ बबलू पुत्र रामसिंह, और लाली पुत्री रामसिंह का 1/4 भाग, हरसिंह पुत्र रामसिंह का 1/4 भाग तथा बलाकिशन पुत्र कुन्दर का 1/4 भाग के नाम दर्ज कर स्वीकार किया जावें इस आदेश की पालना में विवादित इंतकाल दर्ज व स्वीकार किया गया किन्तु सहवन से विवादित इंतकाल में आदेशानुसार सभी का नाम का अंकन कर दिया गया और अपीलान्ट इन्दर सिंह का नाम अंकित नहीं किया गया है। अपीलान्ट का नाम अंकन नही होने के कारण उसके हक हकूको पर विपरित प्रभाव पड रहा है। अपीलान्ट कृषि ऋण भी प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अपीलीय आदेश दिनांक 10.07.17 की जानकारी दिनांक 27.04.18 को राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त हुई, अपितु विवादित इंतकाल में त्रुटिवश मुताबिक निर्णय दिनांक 9.6.17 अपीलान्ट का नाम दर्ज व स्वीकार नहीं किया गया है जिस स्थिति में ऐसे इंतकाल की अपील हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद के साथ पेश की है प्रकरण में जो देरी हुई उसे कान्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहत अदालत का अपीलीय निर्णय निरस्त किया जावें।

विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 10–07–18 के विरूद्व यह अपील दिनांक 19–06–18 को पेश की है तथा अपील की जानकारी दिनांक 27–04–2018 को होना अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद का अपील के साथ पेश कर विलम्ब को माफ करने का निवेदन किया है। अतः प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब

को माफ अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया कि इंतकाल संख्या 172 विरासत ग्राम सैदपुर बैरका तहसील तिजारा में पारित निर्णय दिनांक 9.6.17 की पालना में स्वीकृत किया गया है। विवादित इंतकाल में वर्णित आराजी वाकै ग्राम सैदपुर बैरका को नियमानुसार अमरसिंह पुत्र कुन्दर 1/4 भाग, हेमसिंह पुत्र रामसिंह, इन्दर पुत्र रामसिंह, हनुमान उर्फ बबलू पुत्र रामसिंह, और लाली पुत्री रामसिंह का 1/4 भाग, हरसिंह पुत्र रामसिंह का 1/4 भाग तथा बलाकिशन पुत्र कुन्दर का 1/4 भाग के नाम दर्ज कर स्वीकार किया जावें इस आदेश की पालना में विवादित इंतकाल दर्ज व स्वीकार किया गया किन्तु सहवन से विवादित इंतकाल में आदेशानुसार सभी का नाम का अंकन कर दिया गया और अपीलान्ट इन्दर सिंह का नाम अंकित नहीं किया गया है। अपीलान्ट का नाम अंकन नही होने के कारण उसके हक हकूको पर विपरित प्रभाव पड रहा है। तहत अदालत के निर्णय दिनांक 09.06.17 का अवलोकन किया गया जिसमें अपीलान्ट द्वारा अपील में उठाये गये तर्क दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित होते है। अपील अपीलान्ट स्वीकार होकर रिमान्ड किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार तिजारा का आदेश दिनांक 10.07.2017 को निरस्त किया जाकर इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देकर दस्तावेजी साक्ष्य लेकर गुणावगुगण पर पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति हसीलदार तिजारा को पालनार्थ भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली बाद पूर्ति दाखिल दफतर हों।

निर्णय आज दिनांक **31—12—2019** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर, अलवर
अलवर (राज०)